UPHR010034092026

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act हरदोई

प्रकीर्ण वाद संख्या–224/2026
कालीचरन प्रति दीपक तिवारी, आदि

अन्तर्गत धारा– 173(4) BNSS
थाना– को०देहात, जिला– हरदोई

दिनांकः 13–08–2026

यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थी **कालीचरन** की ओर से, विपक्षीगण **दीपक तिवारी, विनीत तिवारी व केतन** के विरूद्ध BNSS की धारा 173(4) के अन्तर्गत प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु योजित किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी द्वारा किया गया कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अनुसूचित पासी जाति का व्यक्ति है, जबकि विपक्षीगण सवर्ण ब्राह्मण जाति के लोग हैं, जो प्रार्थी व उसके परिजनों से राजनैतिक रंजिश रखते हैं। दि० 18.04.2026 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे विपक्षीगण एक राय होकर, हाथ में लाठी–डंडा तथा धारदार औजार लेकर आये तथा जातिसूचक गालियां देते हुए कहा साले पासी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोगों को गांव मे नही रहने दोगे, मना करने पर वे प्रार्थी के घर में घुस आये, उसके पिता बंगाली को लाठी व लात–घूसों से मारने लगे, बचाने पर प्रार्थी को भी लात–घूसों से मारा, घर का सामान तोड़–फोड़ डाला, एलानिया धमकी दिया कि तुम लोगों को गांव में नही रहने देंगे। तत्पश्चात वे गाली–गलौज, जान–माल की धमकी देते हुए चले गये। घटना के समय गांव के बहुत से लोग एकत्र हो गये थे। प्रार्थी पिता को लेकर थाने गया, किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक, हरदोई को पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। तत्पश्चात न्यायालय आया। विपक्षीगण आपराधित प्रवृत्ति के सजायाफ्ता व्यक्ति हैं, जो अपील पर जेल से बाहर हैं। विपक्षीगण ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। अतः अभियोग पंजीकृत करने हेतु समुचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार, कथित घटना की कोई पुष्टि नही हुई। प्रार्थी के पिता बंगाली शराब के नशे के आदी हैं, जो शाम को शराब पीकर विपक्षी दीपक तिवारी के घर पर गाली–गलौज कर रहे थे, जिसकी सूचना विपक्षी ने प्रार्थी के परिजनों को दी, जो उसे पकड़कर ला रहे थे तो उक्त बंगाली नशे मे नाली में गिर गया, जिससे उसे पैर में चोट लग गयी, जिसका अनुचित लाभ लेने के लिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से कोई रंजिश नही है।

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति के माध्यम से, प्रार्थना पत्र कथानक का खण्डन करते हुए, कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा मात्र सरकारी अनुदान पाने के लिए, षडयन्त्र के अधीन, मिथ्या आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण सं० 2 व 3 नाबालिग हैं, जिनकी आयु क्रमशः 15 वर्ष व 13 वर्ष है, जो पढ़ाई करते हैं। प्रार्थना पत्र में

Gyanendra Tripathi
Spl. Judge SC/ST (P.A.) Act

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.25 16:49:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घटनास्थल का कोई उल्लेख नही है और न ही गवाह दर्शित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण से राजनैतिक रंजिश का कथन किया गया है, किन्तु ऐसी रंजिश सम्बन्धी घटना कब, कैसे, कहाँ, क्यों हुई, स्पष्ट नही किया गया है। कथित घटना की तिथि दि० 18.04.2026 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे विपक्षीगण ने किस कारण कथित घटना को अंजाम दिया, स्पष्ट नही किया गया है। अकारण विपक्षीगण कथित घटना को अंजाम नही दे सकते हैं। प्रार्थी द्वारा घटना के समय गांव के बहुत से लोगों के एकत्र होने का कथन किया गया है, किन्तु उनमें से किसी एक के नाम का उल्लेख प्रार्थना पत्र मे नही किया गया है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को छोड़कर, उसके घर में घुसकर उसके पिता के साथ मारपीट क्यों की गयी, यह भी प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। इससे थाने की आख्या में उल्लिखित इस तथ्य को बल मिलता है कि प्रार्थी के पिता द्वारा शराब के नशे में विपक्षीगण के घर जाकर अभद्र व्यवहार किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लोभवश, प्रार्थी द्वारा कपोल–कल्पित कथानक को आपराधिक स्वरूप प्रदान करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS, निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

दिनांकः 13–08–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574